महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
Website: www.mjpru.ac.in, NAAC Acredited - A++

पत्रांक : रू.वि. / प्र.प.प्र. / 2024 / 810 दिनांक : 21.08.2024

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय परिसर, बरेली

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विषय : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (सत्र 2024–25) में ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से होने वाले प्रवेश हेतु नियम व दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर (एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम., बी.लिब., एम.लिब., एम.एस.डब्लू., बी.पी.एड., पी.जी. डिप्लोमा, तथा (एल.एल.बी.–त्रिवर्षीय / एम.एड.–स्ववित्त पोषित) इत्यादि ऑनलाईन प्रवेश के सम्बन्ध में आप सभी को सूचित करना है कि छात्रहित एवं महाविद्यालयों के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रवेश प्रकिया का सरलीकरण करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि सत्र 2024–25 में ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के माध्यम से होने वाले समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली एवं पाठ्यकमों के लिये स्थापित अध्यादेशों में वर्णित नियमों एवं दिशा–निर्देशें का पालन करते हुये महाविद्यालय स्तर पर स्वयं सम्पन्न कराये जायेंगे।

प्रवेश प्रकिया निम्नवत् होगी–

1. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों / परिनियमों का पालन करते हुये एवं आरक्षण सम्बन्धी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये सम्पादित करेगें।
2. यह प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2024–25 के लिये सभी स्नातकोत्तर पाठ्यकमों (प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेशों को छोड़कर) के लिये है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत छात्र को उसकी अर्हता के दृष्टिगत किसी भी दो पाठ्यक्रमों को एक साथ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें एक पाठ्यक्रम संस्थागत छात्र के रूप में तथा दूसरा पाठ्यक्रम व्यक्तिगत / ऑनलाईन मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकेगें।
4. छात्र / छात्रायें एक अथवा एक से अधिक महाविद्यालयों, जिनमें कि वे प्रवेश के इच्छुक हों, में अपनी अर्हतानुसार महाविद्यालय में संचालित पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीकरण आवेदन पत्र को पूर्णरूपेण भरकर अपनी अंकतालिकाओं, सर्टिफिकेट इत्यादि की छायाप्रति, नवीनतम फोटोग्राफ एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 150 / – के साथ अंतिम तिथि तक अधिकतम 10 महाविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।

5. सत्र 2024–25 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आनलाईन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होने वाले प्रवेश महाविद्यालयों द्वारा स्वयं किये जायेंगे। किसी भी महाविद्यालय में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है या पालन नहीं किया गया है तो उनके द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा तथा उनका प्रवेश पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

6. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समस्त महाविद्यालय सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से छात्र/छात्राओं को प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त समस्त महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचकर सही पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर मेरिट सूची (योग्यता क्रम सूची) तैयार कर प्रदर्शित करेंगे।

8. छात्र/छात्रायें केवल एक ही महाविद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। समस्त छात्र/छात्रायें अपनी इच्छा एवं अर्हतानुसार, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का चयन सीटों की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं/करने के लिये स्वतंत्र हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक एवं अन्य यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

9. मेरिट सूची (योग्यता क्रम सूची) प्रदर्शित करने के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय को, प्रवेश हेतु इच्छुक समस्त छात्र/छात्राओं के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कर प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी का कालेज लॉगिन आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाईन प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।

10. समस्त महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर के किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित करने से पहले यह भलीभांति देख लें कि अभ्यर्थी ने अपने समस्त शैक्षिक प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा कर दिया है।

11. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधान/नियम प्रभावी हैं।

प्रवेश प्रकिया की तिथियाँ निम्नवत् होंगीः–

क्र.	विवरण	निर्धारित तिथि
1	विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क रू. 150/– प्रति छात्र की दर से जमा कर छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	23.07.2024
2	विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क रू. 150/– प्रति छात्र की दर से जमा कर छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	22.08.2024
3	महाविद्यालय में ऑनलाईन मेरिट तैयार कर प्रर्दशित कर मेरिट के अनुसार उ.प्र. शासन/विश्वविद्यालय एवं अन्य नियामक संस्थाओं के नियमों तथा आरक्षण हेतु निर्धारित नियमों के अधीन प्रवेश सुनिश्चित करने की अन्तिम तिथि	23.08.2024 से 31.08.2024 तक

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समन्वयक, ऑनलाईन प्रवेश।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. उप–कुलसचिव (प्रवेश)
5. उप–कुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित कि प्रवेश प्रकोष्ठ को अद्यतन सम्बद्ध महाविद्यालय, उनमें संचालित पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत सीट संख्या की सूची उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. निजी सचिव–कुलपति, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
7. वै.सहा., कुलसचिव।
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाईट।

कुलसचिव